वित्त लेखे (खण्ड-I)

2013-14

उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
	खण्ड–1	
▪	विषय सूची	i-ii
▪	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र	iv-v
▪	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vii-xv
1.	वित्तीय स्थिति का विवरण	1-2
2.	प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण	3-4
	▪ विवरण संख्या 2 का अनुलग्नक (रोकड़ प्रवाह विवरण)	5-7
3.	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	8-11
4.	व्यय का विवरण (समेकित निधि)	
	▪ अ. व्यय क्रियाकलाप से	12-14
	▪ ब. व्यय के स्वरूप से	15-18
	▪ लेखों पर टिप्पणियाँ	19-27
I	▪ परिशिष्ट–I "अ" (मियादी समायोजन)	28
	▪ परिशिष्ट–I "ब" (i) मुख्य लेखा शीर्ष जहाँ अधिकांश प्राप्तियाँ "अन्य प्राप्तियों" में वर्गीकृत हैं। प्राप्तियाँ (राजस्व)	29
	▪ परिशिष्ट–I "ब" (ii) मुख्य लेखा शीर्ष जहाँ अधिकांश व्यय "अन्य व्यय" में वर्गीकृत हैं। व्यय (राजस्व)	30
	▪ परिशिष्ट–I "स" (उच्चंत शेष)	31
	खण्ड–2	
	भाग–1	
5.	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	33-41
6.	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	42-46
7.	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण	47-49
8.	सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों का विवरण	50-51
9.	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण	52-56
10.	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण	57-58

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
	खण्ड–2	
	भाग–2 व्यौरेवार विवरण	
11.	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का **व्यौरेवार विवरण**	61-94
12.	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का **व्यौरेवार विवरण**	95-152
13.	पूँजीगत व्यय का व्यौरेवार विवरण	153-301
14.	सरकार द्वारा निवेश का व्यौरेवार विवरण	302-327
15.	उधार एवं अन्य देयताओं का व्यौरेवार विवरण	328-346
16.	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों का व्यौरेवार विवरण	347-368
17.	राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के श्रोतों व उनके उपयोग का व्यौरेवार विवरण	369-373
18.	आकस्मिकता निधि और लोक लेखा लेन–देनों का व्यौरेवार विवरण	374-408
19.	उद्दिष्ट निधियों के निवेश का व्यौरेवार विवरण	409-415
	भाग–3ः परिशिष्ट	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	417-426
III	उपादान पर तुलनात्मक व्यय	427-444
IV	राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायक अनुदान/सहायता (संस्था एवं योजनानुसार)	445-457
V	वाह्य सहायतित परियोजनाओं का **व्यौरेवार विवरण**	458-459
VI	आयोजनागत व्यय (अ) केन्द्रीय योजनाएँ (ब) राज्य योजनाएँ	460-487
VII	एजेंसियों को लागू करने के लिए राज्य में केन्द्रीय योजना के धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के बाहर से उपलब्ध कराई गई धनराशि) (बिना जाँचा हुआ आँकड़ा)	488-498
VIII	शेषों का सार (संचित निधि, आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खाते)	499-503
IX	सिंचाई कार्यो के वित्तीय परिणाम	504-505
X	31 मार्च 2014 को अपूर्ण पूँजीगत निर्माण कार्यों का विवरण	506-520
XI	वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य के अनुरक्षण व्यय का **व्यौरेवार विवरण** (31 मार्च 2014 तक)	521-523
XII	वर्ष के दौरान मुख्य नीति निर्धारण के निहितार्थ बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं हेतु भविष्य के रोकड़ प्रवाह के प्रभाव का विवरण (31 मार्च 2014 तक)	524-528

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एंव संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। ये लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं, खण्ड–I राज्य के वित्त की समेकित स्थिति को प्रदर्शित करते हैं एवं खण्ड–II में लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में दर्शाया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के साथ पठित हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें उत्तराखण्ड सरकार के नियन्त्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरण संख्या 09, विवरण संख्या 11 की व्याख्यात्मक टिप्पणी संख्या 2 और परिशिष्टों V,VI, IX, X और XII को उत्तराखण्ड सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है। परिशिष्ट VII को महालेखा नियंत्रक के केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (सीपीएसएमएस) के पोर्टल में दिए गये विवरण के आधार पर तैयार किया गया है।

उत्तराखण्ड सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय/विभाग, प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ–साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबन्धित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, 151 तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतन्त्र रुप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूने के आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे वर्ष 2013-14 के लिए उत्तराखण्ड सरकार के प्रयोजन के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ–साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली उत्तराखण्ड सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक : 21 अक्तूबर 2014

स्थान : नई-दिल्ली

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

(अ) सरकारी लेखों की संरचना का विस्तृत विहंगालोकनः–

1. उत्तराखण्ड सरकार का वित्त लेखा, राजस्व एवं पूँजीगत खातों, राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण के खातों एवं देनदारियों व संपत्तियों द्वारा मिले वित्तीय परिणामों के साथ, वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं व्ययों के खाते प्रस्तुत करता है।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:–

भाग–**I** : समेकित निधिः

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण, वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाए गए अर्थोपाय एवं ऋण की अदायगी में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ सम्मिलित हैं। विधि के अनुसार एवं भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध उद्देश्यों व तरीकों के अलावा, इस निधि से कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे– संवैधानिक अधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार का गठन (प्रभारित व्यय) करती हैं एवं विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा मतदान किये जाते हैं।

समेकित निधि में दो भाग सम्मिलित हैं:

राजस्व एवं पूँजी (ऋण समेत)। इन्हें आगे ''प्राप्तियों'' एवं ''व्यय'' में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ग को तीन क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है, नामतः ''कर राजस्व'', ''गैर कर राजस्व'' एवं 'सहायता व योगदान में अनुदान''। ये तीन क्षेत्रक आगे उप–क्षेत्रकों में बंट जाते हैं, जैसे–''आय एवं व्यय पर कर'', राजकोषीय सेवाएँआदि। पूँजी प्राप्तियाँ वर्ग में कोई क्षेत्रक अथवा उप–क्षेत्रक नहीं होता।

राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रकों में विभाजित होता है:– नामतः ''सामान्य सेवाएँ'', ''सामाजिक सेवाएँ'', ''आर्थिक सेवाएँ'' एवं ''सहायता व योगदान में अनुदान''। राजस्व व्यय वर्ग में ये क्षेत्रक आगे उप–क्षेत्रकों में बँट जाते हैं जैसे– ''राज्य के अंग'', ''शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति'' आदि। पूंजी व्यय अनुभाग 8 उप–क्षेत्रकों में बाँटा जाता है– नामतः ''सामान्य सेवाएँ'', ''समाजिक सेवाएँ'', ''आर्थिक सेवाएँ'', ''सहायता व योगदान में अनुदान'', ''लोक ऋण'', ''ऋण एवं अग्रिम'', ''अन्तर्राज्यीय समायोजन'' एवं ''आकस्मिकता निधि में विनियोग''।

भाग–**II** आकस्मिकता निधि :

विधायिका विधि सम्मत एक आकस्मिकता निधि स्थापित कर सकती है, जो एक अग्रदाय प्रकृति की होती है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि का राज्य विधान मण्डल द्वारा अनुमोदन होने तक दिए जाने वाले अग्रिमों की व्यवस्था हेतु यह निधि राज्यपाल के अधीन रखी जाती है। राज्य के समेकित निधि से सम्बन्धित क्रियाशील मुख्य शीर्ष में व्ययों को नामे करके आपूर्ति किया जाता है। वर्ष 2013–14 के लिए उत्तराखण्ड सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 600 करोड़ है।

भाग–**III** लोक लेखा :

अन्य सभी लोक धन जो शासन या उसकी तरफ से प्राप्त किए जाते हैं, जहां सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा किए जाते हैं। लोक लेखे में प्रतिदेय जैसे– अल्प बचत एवं भविष्य निधि, जमा (ब्याज एवं गैर–ब्याज), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज एवं गैर–ब्याज), धन–प्रेषण एवं उच्चंत शीर्ष (जो अस्थायी शीर्ष हैं– अंतिम लंबित बुकिंग) सम्मिलित होते हैं। सरकार के पास उपलब्ध कुल नकद शेष भी लोक खाते के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। लोक खाते में छह क्षेत्रक होते हैं नामतः ''अल्प बचत'', ''भविष्य निधि आदि'' ''आरक्षित निधि'', ''जमा एवं अग्रिम'', ''उच्चंत एवं विविध'', ''धन प्रेषण'' एवं ''नकद शेष''। ये क्षेत्रक आगे उप–क्षेत्रकों में विभाजित होते हैं। लोक लेखा विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं है।

3. सरकारी लेखा एक छह स्तर के वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रस्तुत होता है नामतः मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप–मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप–शीर्ष (दो अक्षर) विस्तृत शीर्ष (दो अंक) एवं वस्तु शीर्ष (दो अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उप–मुख्य शीर्ष उप–कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लघु शीर्ष कार्यक्रमों/गतिविधियों का, उप शीर्ष योजनाओं का, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं का एवं वस्तु शीर्ष व्यय का उद्देश्य/वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है।

4. लेखों में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है, जिसमें कोडिंग पैटर्न शामिल होता है (31 मार्च 2014 तक संशोधित मुख्य व लघु शीर्षों की सूची के अनुसार)

0020 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजी प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजी व्यय (ऋण समेत)
7999	आकस्मिकता निधि का विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखा, सामान्य तौर पर (कुछ अपवादों के साथ) लघु शीर्ष तक के लेनदेन दर्शाता है। वित्त लेखा में आंकड़े निवल स्तर तक दर्शाए जाते हैं यानी व्यय लेखा में कमी के रूप में वसूली के लिए लेखांकन के बाद के। यह तरीका, विधानसभा में प्रस्तुत अनुदानों की मांगों एवं विनियोजन लेखों में, जहां व्यय सकल स्तर तक दर्शाया जाता है, से अलग होता है।

6. लेखों की संरचना का चित्रीय निरूपण नीचे दिया गया है :

सरकारी लेखों की संरचना

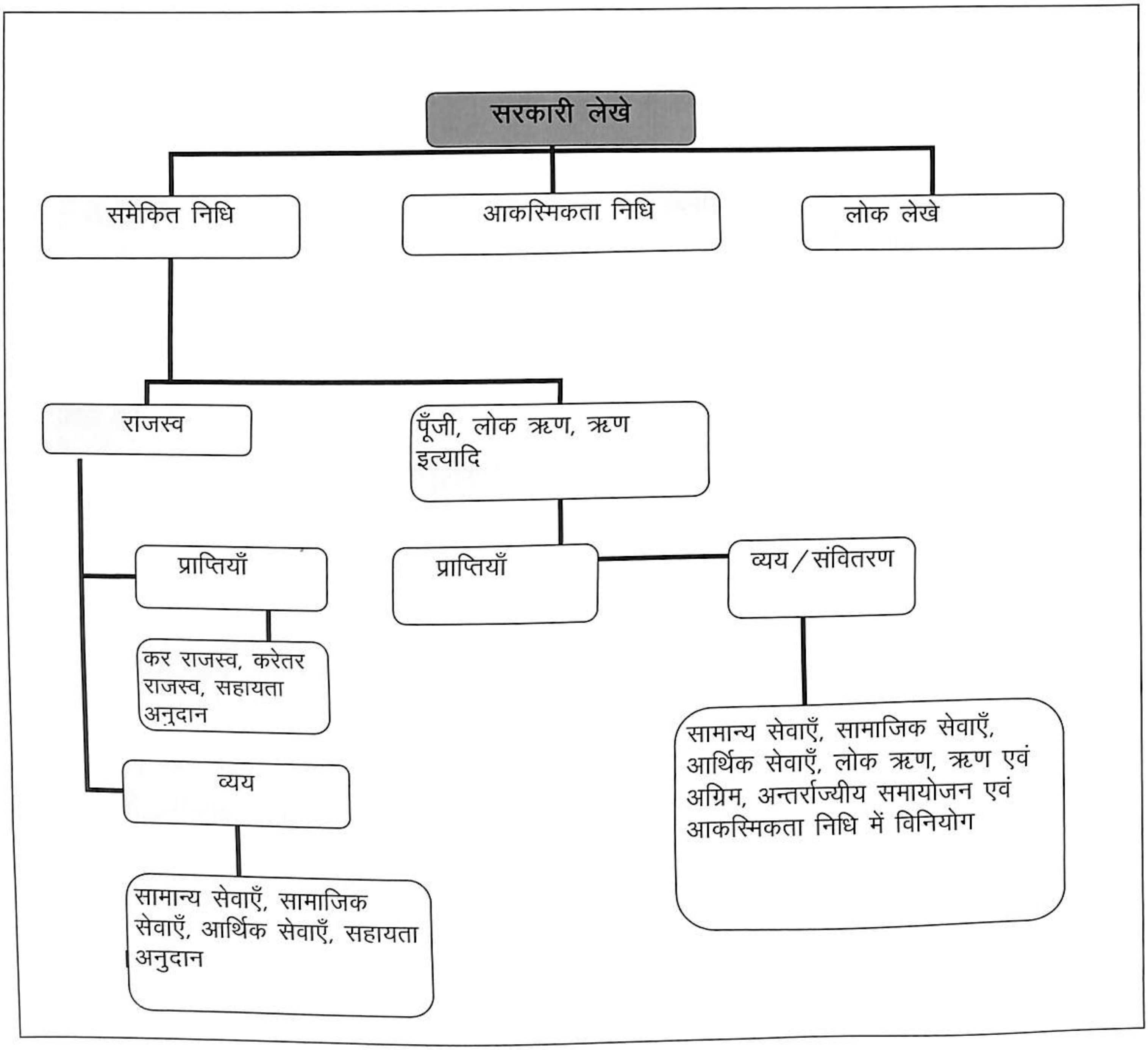

(ब) वित्त लेखों में क्या शामिल है–
वित्त लेखा दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है।

खण्ड–1 में वित्त लेखे के लिए परिदर्शक, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र, चार विवरण, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं लेनदेन की संक्षिप्त जानकारी देते हैं, लेखों पर टिप्पणियों एवं लेखों पर टिप्पणियों का एक परिशिष्ट शामिल होता है। खण्ड–1 में चार विवरण निम्नानुसार हैं:–

1. वित्तीय स्थिति का विवरण:
यह विवरण राज्य सरकार की संपत्ति एवं दायित्वों के संचयी आंकड़े, जो वर्ष के अंत में प्राप्त होते हैं एवं पिछले वर्ष के अंत में स्थिति से तुलना के अनुसार दर्शाता है।

2. प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण:
इसमें वर्ष के दौरान सभी तीन भागों, जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, नामतः समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे, में सरकार की सभी प्राप्तियों एवं वितरणों को दर्शाया जाता है। इसके अलावा, इसमें एक अनुबन्ध होता है, जिसमें सरकार के नकद शेषों (निवेश समेत) का वैकल्पिक चित्रण दर्शाया जाता है। अनुबन्ध विस्तृत रूप से सरकार की अर्थोपाय स्थिति भी दर्शाता है।

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):
इस विवरण में राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ तथा राज्य सरकार की उधारियाँ शामिल हैं। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड 2 में विस्तृत विवरण संख्या 11, 15 एवं 16 से सम्बद्ध है।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि):
वित्त लेखों के सामान्य चित्रण से लघु शीर्ष स्तर तक विचलन में, यह विवरण गतिविधि की प्रकृति (व्यय की वस्तु/उद्देश्य) द्वारा भी व्यय का ब्यौरा देता है। यह खण्ड–2 के विस्तृत विवरण संख्या 12 से सम्बद्ध है।

वित्त लेखे के खण्ड–2 में तीन भाग सम्मिलित हैं– भाग–I में छह संक्षिप्त विवरण, भाग– II में 9 विस्तृत विवरण एवं भाग–III में 12 परिशिष्ट।

खण्ड–2 का भाग–I
5. प्रगाामी पूंजीगत व्यय का विवरण:
यह विवरण भाग–II में विस्तृत विवरण संख्या 13 से संबद्ध है।
6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण:
इसमें सरकार के उधारों के अन्तर्गत बाजार से लिया गया ऋण (आन्तरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। अन्य दायित्वों में अल्प बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि एवं जमा शामिल होते हैं। इस विवरण में ऋण शोधन पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह भाग–II के विस्तृत विवरण संख्या 15 से संबद्ध है।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरणः

इसमें कर्जदारों के विभिन्न वर्गो जैसे–सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियाँ, स्वायत्त एवं अन्य निकाय/प्राधिकरण एवं प्राप्तकर्ता व्यक्तियों (सरकारी कर्मियों समेत) को राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी तरह के ऋणों एवं अग्रिमों को दर्शाया जाता है। यह विवरण भाग– II में विस्तृत विवरण सं0–16 से संबद्ध है।

8. सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का विवरणः

यह विवरण अनुदान ग्रहियों के विभिन्न वर्गो जैसे सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त एवं अन्य निकाय/प्राधिकरण एवं व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी सहायक अनुदानों को दिखाता है। परिशिष्ट–IV में प्राप्तकर्ता संस्थानों का ब्यौरा उपलब्ध है।

9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरणः

यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए ऋणों पर मूलधन व ब्याज की अदायगी पर राज्य सरकार द्वारा दी गई वचनबद्धताओं को संक्षिप्त में दर्शाता है।

10. दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का वि्वरणः

यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों का विनियोजन लेखे में दर्शाए सकल आँकड़ों के साथ मेल में सहायक होता है।

खण्ड–2 का भाग–II

11. लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरणः –

यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड–1 के संक्षिप्त विवरण संख्या– 3 से संबन्द्ध है।

12. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण :– यह विवरण, जो खण्ड–1 में संक्षिप्त विवरण 4 से संबद्ध है, योजना (राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं व केन्द्रीय योजनाएँ) एवं गैर योजना के तहत राज्य सरकार के राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं।

13. पूँजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण :– यह विवरण, जो इस खण्ड के भाग–I में संक्षिप्त विवरण से संबद्ध है, योजना (राज्य योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजनाएँ) एवं गैर योजना के तहत राज्य सरकार के पूँजी गत व्ययों (वर्ष के दौरान एवं संचयी) को दिखाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं। लघु शीर्ष स्तर पर पूँजी गत व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के अलावा महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में यह विवरण उपशीर्ष स्तर पर भी ब्यौरा दिखाता है।

14. सरकार द्वारा निवेश का व्यौरेवार विवरणः— यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त कंपनी, सहकारी संस्थान एवं स्थानीय निकायों की साम्य पूँजी में राज्य सरकार का निवेश दर्शाता है।

15. उधार एवं अन्य देयताओं का व्यौरेवार विवरणः— यह विवरण इस खण्ड के भाग— I के विवरण सं0—6 से सम्बद्ध है। इसमें राज्य सरकार द्वारा लिए सभी ऋण का विवरण (बाजार ऋण, केन्द्र सरकार से लिया गया ऋण, बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत को जारी विशेष प्रतिभूति आदि) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम शामिल होते हैं। यह विवरण तीन वर्गों के तहत ऋणों की जानकारी देता है— (अ) व्यक्तिगत ऋणों का विवरण (ब) परिपक्वता विवरणिका अर्थात अलग—अलग वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में देय राशि (स) बकाया ऋणों की ब्याज दर विवरणिका।

16. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का व्यौरेवार विवरणः— यह विवरण इस खण्ड के भाग—I के संक्षिप्त विवरण सं0—7 से संबद्ध है।

17. राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का व्यौरेवार विवरणः— यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय, राजस्व अधिक्य से, सार्वजनिक खाते में निवल जमा शेष से, वर्ष के शुरू में नकद शेष से एवं उधार से चुकाना चाहिए।

18. आकस्मिकता निधि और लोक लेखा लेन—देनों का व्यौरेवार विवरणः

यह विवरण लघु शीर्ष स्तर पर आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखे के लेनदेन की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अंत में बकाया शेषों का व्योरा दर्शाता है।

19. उद्दिष्ट निधियों के निवेश का व्यौरेवार विवरणः

यह विवरण आरक्षित निधियों (लोक लेखे) से किए गए निवेश का व्यौरा दर्शाता है।

खण्ड—2 का भाग—**III** (परिशिष्ट)

भाग—III में प्रमुख केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य योजनाओं आदि के संबंध में वेतन, सब्सिडी, सहायता अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, प्राप्त केन्द्रीय एवं राज्य योजना के योजनावार व्यय समेत विभिन्न मदों पर 12 परिशिष्ट शामिल हैं। यह विवरण उप—शीर्ष स्तर अथवा नीचे (अर्थात लघुशीर्ष स्तर से नीचे) के खातों में होते हैं एवं इसलिए साधारणतया वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड—1 अथवा 2 के सूचकांक में होती है। परिशिष्टों के साथ विवरणों को पढ़ना राज्य सरकार के वित्त की स्थिति की सही तस्वीर प्रस्तुत करती है।

(स) शीघ्र गणक :–

नीचे दिया अनुभाग / वर्ग खण्ड–2 में विस्तृत विवरणों व परिशिष्टों एवं खण्ड–1 में संक्षिप्त विवरणों को जोड़ता है। (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरणों से सीधा संपर्क नहीं है, को नीचे नहीं दर्शाया गया है।

पैरामीटर	विवरणों का सार (खण्ड–1 / 2)	विस्तृत विवरण (खण्ड–2)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित)	2, 3	11	
राजस्व व्यय	2, 4	12	II (वेतन), III (उपादान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2	8	IV
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	11	
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4	5, 13, 17	
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम	1, 2, 7	16	
ऋणों की स्थिति / उधार	1, 2, 6	15	
कम्पनी, निगमों इत्यादि में सरकार का निवेश		14	
रोकड़	1, 2		VIII
लोक लेखा में अवशेष तथा उनका निवेश	1, 2	18, 19	
प्रत्याभूति		9	
योजनाएँ			V (वाह्य सहायतित योजनाएँ), VI, VII

(द) आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजनः

लेखे में आने वाले कुछ लेनदेन, बुकिंग के समय नकदी के वास्तविक संचलन को शामिल नहीं करते। इनमें से कुछ लेनदेन, खाता प्रतिपादन इकाइयों के स्तर पर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, वेतनों से सभी कटौतियों (जी0पी0एफ0, किए गए अग्रिमों की वसूली आदि) के समायोजन वाले लेनदेन राजस्व प्राप्ति के लिए पुस्तक समायोजन द्वारा (संबंधित विभाग से संबंधित) कार्यात्मक मुख्य शीर्ष डेबिट करके दर्ज किए जा रहे हैं। इसी प्रकार 'शून्य' बिल जहां राशि समेकित निधि एवं लोक लेखे के बीच स्थानांतरित होती है, इकाइयों प्रतिपादन खातों के स्तर पर होने वाली गैर नकदी लेनदेनों का प्रतिनिधित्व करता है।

उपर्युक्त के अलावा, प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक0) आवधिक समायोजन एवं राज्य सरकार के खाते में निम्नलिखित प्रकृति की पुस्तक का समायोजन, जिसका ब्यौरा, परिशिष्ट 1 (खण्ड–1) में एवं संबंधित विवरणों की पाद टिप्पणी में होता है, पूरा करता है।

आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन के उदाहरण निम्नलिखित हैं:–

(1) समेकित निधि से घटाकर लोक लेखे में निधियों की स्थापना/निधियों में अंशदान का समायोजन जैसे– आपदा राहत निधि, आरक्षित निधि, ऋण शोधन निधि आदि।

(2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखे के जमा शीर्ष में जमा कर दिया जाना।

(3) सामान्य निधि पर ब्याज एवं राज्य सरकार के सामूहिक बीमा योजना के वार्षिक समायोजन, जहाँ मुख्य शीर्ष 2049 ब्याज अदायगी को नामे कर मुख्य शीर्ष 8009 सामान्य भविष्य निधि में जमा कर राज्य सरकार के सामान्य भविष्य निधि में ब्याज का समायोजन किया जाता है।

(4) केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की योजना के तहत ऋण माफी का समायोजन। ये समायोजन (जहाँ केन्द्र सरकार से केन्द्रीय ऋण मुख्य शीर्ष 6004 ऋण एवं अग्रिम में कॉन्ट्रा प्रविष्टि द्वारा मुख्य शीर्ष 0075 विविध सामान्य सेवाओं में जमा कर बंद किया जाता है) राजस्व प्राप्तियाँ एवं लोक ऋण शीर्ष दोनों को प्रभावित करते हैं।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

				(करोड़ ₹ में)	
क्र0 सं0	सम्पत्ति (अ)	सन्दर्भ (विवरण संख्या)		31मार्च 2014 तक	31मार्च 2013 तक
		लेखों पर टिप्पणी	विवरण		
	रोकड़				
(i)	कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			0.00	0.00
(ii)	विभागीय शेष		18	(-) 2.15	(-) 2.15
(iii)	स्थायी नकद अग्रदाय		18	(-) 0.86	(-) 0.86
(iv)	नकद शेष निवेश लेखा		18	7,99.50	8,75.15
(v)	भारतीय रिर्जव बैंक में जमा (यदि जमा राशि है तो (–) से चिन्ह से सम्मिलित) किया है।			5,58.31	(-) 5.21
(vi)	उदि्दष्ट निधियों से निवेश (ब)		18 & 19	10,78.62	10,78.62
	पूंजीगत व्यय				
(i)	कम्पनियों व निगमों के अंशों में निवेश		14	26,76.51	23,96.90 *
(ii)	अन्य पूंजीगत व्यय		13	2,11,57.49	1,77,25.07 *
	आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)		18	2,79.63	97.15
	ऋण एवं अग्रिम		16	9,40.97	7,18.21
	विभागीय अधिकारियों से अग्रिम				
	उच्चंत तथा विविध शेष (स)		18	3,77.57	3,59.41
	प्रेषण शेष		18	11,24.53	14,41.73
	प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य (द)		परि. 8 एवं विव. 13	14,55.17	21,34.66
	योग			**3,04,45.29**	**2,68,18.68**

(*) भिन्नता का कारण प्रोफार्मा संशोधन है

(अ) सम्पतियां तथा दायित्व संचयी (Cumulative) है। कृपया 'लेखों पर टिप्पणी' संख्या 1 (ii) देखिए।

(ब) उदि्दष्ट निधियों से कम्पनियों के अंश आदि में निवेश पूंजीगत व्यय में सम्मिलित नही है तथा इनको उदि्दष्ट निधियों से निवेश के अन्तर्गत दिखाया गया है।

(स) इस विवरण में "उच्चंत एवं विविध शेषों" में नकद शेष निवेश लेखा सम्मिलित नही है जिसको अलग से दर्शाया गया है।

(द) प्राप्तियों का व्यय से संचयी (Cumulative) आधिक्य या व्यय का प्राप्तियों से संचयी आधिक्य, इस साल के राजस्व घाटा/राजस्व आधिक्य से भिन्न है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

क्र0 सं0	दायित्व	सन्दर्भ (विवरण संख्या)		31मार्च 2014 तक	31मार्च 2013 तक
		लेखों पर टिप्पणी	विवरण	(करोड़ ₹ में)	
	उधार (लोक ऋण)				
(i)	आन्तरिक ऋण		15	2,09,09.92	1,83,37.22
(ii)	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम		15	4,45.20	4,61.54
	आयोजनेत्तर ऋण		15	5.97	6.65
	राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण		15	4,38.70	4,30.19
	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण		15	0.00	0.04
	केन्द्रीय पुनरोधित आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण		15	0.00	24.13
	अन्य ऋण		15	0.53	0.53
	आकस्मिकता निधि (संग्रह)		18	6,00.00	2,00.00
	लोक लेखे पर दायित्व				
(i)	अल्प बचते, भविष्य निधियां आदि		18	50,42.79	47,20.34
(ii)	जमा (#)		18	22,23.22	18,71.49
(iii)	आरक्षित निधियां		18	12,24.16	12,28.09
(iv)	प्रेषण शेष				
(v)	उचंत और विविध शेष				
	प्राप्तियों का व्यय पर संचयी आधिक्य				
	योग			**3,04,45.29**	**2,68,18.68**

(#) जमा में अग्रिम सम्मिलित है।

2. प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण

(करोड ₹ में)

	प्राप्तियाँ			भुगतान	
	2013-14	2012-13		2013-14	2012-13
भाग–1 समेकित निधि					
खण्ड क राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ	**1,73,20.53**	**1,57,47.22**	राजस्व व्यय	**1,62,16.41**	**1,39,60.22**
कर राजस्व (राज्य द्वारा अधिरोपित)	**73,55.34**	**64,14.25**	वेतन (अ)	64,31.24	57,24.44
करेत्तर राजस्व			उपादान	23.63	1,63.23
			अनुदान (ब) (स)	16,57.46	16,34.87
ब्याज प्राप्तियां	51.12	1,14.76	सामान्य सेवाएँ		
अन्य	12,65.42	14,88.12	ब्याज अदायगी तथा ऋण शोधन	20,56.04	22,38.73
योग	**13,16.54**	**16,02.88**	पेंशन	21,30.67	13,65.69
संघीय करों का अंश	35,73.38	32,72.88	अन्य	3,90.74	3,61.97
			योग	**45,77.44**	**39,66.39**
			सामाजिक सेवाएँ	21,24.08	12,72.51
			आर्थिक सेवाएँ	7,34.15	7,01.92
केन्द्र से अनुदान	50,75.27	44,57.21	स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेश	6,68.41	4,96.86
राजस्व घाटा			*राजस्व आधिक्य*	**11,04.12**	**17,87.00**
खण्ड ख पूँजीगत					
पूँजीगत प्राप्तियाँ	**1,80.40**	..	पूँजीगत व्यय	**37,12.03**	**35,42.09**
			सामान्य सेवाएँ	1,37.90	1,29.37
			सामाजिक सेवाएँ	8,40.81	7,14.82
			आर्थिक सेवाएँ	27,33.32	26,97.90
ऋण तथा अग्रिम वसूली	**55.23**	**4,28.44**	ऋण तथा अग्रिम भुगतान	**2,77.99**	**2,72.57**
			सामान्य सेवाएँ	..	3.08
			सामाजिक सेवाएँ	..	
			आर्थिक सेवाएँ	2,76.23	2,68.02
			अन्य	1.76	1.47
लोक ऋण की प्राप्तियाँ	**40,38.48**	**29,82.59**	लोक ऋण का पुनः भुगतान	**14,82.12**	**14,87.37**
आन्तरिक ऋण (बाजार ऋण आदि)	40,03.52	29,47.88	आन्तरिक कर्ज (बाजार ऋण आदि)	14,30.82	14,58.74
भारत सरकार से ऋण	34.96	34.71	भारत सरकार से ऋण	51.30	28.63
	..	..	समेकित निधि विनियोजन	**4,00.00**	**..**
शुद्ध अर्न्तराज्यीय समायोजन	..	..	शुद्ध अर्न्तराज्यीय समायोजन	..	..
समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ	**2,15,94.64**	**1,91,58.25**	समेकित निधि की कुल व्यय	**2,20,88.55**	**1,92,62.25**
समेकित निधि में घाटा	**4,93.91**	**1,04.00**	समेकित निधि में आधिक्य	**..**	**..**

2. प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण

(करोड ₹ में)

	प्राप्तियाँ			भुगतान	
	2013-14	2012-13		2013-14	2012-13
भाग–2 आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	**4,12.00**	**32.22**	आकस्मिकता निधि	**1,94.48**	**32.07**
भाग 3 लोक लेखा (य)					
अल्प बचतें	13,13.17	11,59.18	अल्प बचतें	9,90.73	8,88.06
संचय एवं ऋण शोधन निधि	4,68.31	2,78.46	संचय एवं ऋण शोधन निधि	4,72.24	3,33.09
जमायें	29,66.81	22,32.83	जमायें	26,15.07	20,14.08
अग्रिम	1,20.03	1,26.64	अग्रिम	1,20.03	1,26.60
उच्चंत एवं विविध	3,81,42.45	3,45,66.50	उच्चंत एवं विविध (र)	3,82,90.00	3,49,12.50
प्रेषण	48,16.69	31,17.05	प्रेषण	44,99.49	32,18.31
लोक लेखा का कुल प्राप्तियां	**4,78,27.46**	**4,14,80.66**	लोक लेखा का कुल भुगतान	**4,69,87.56**	**4,14,92.64**
लोक लेखा में कमी	..	**11.98**	लोक लेखा में आधिक्य	**8,39.90**	..
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	**(-) 5.21**	**1,10.62**	अन्तिम रोकड़ शेष	**5,58.31**	**(-) 5.21**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**5,63.52**	..	रोकड़ शेष में कमी	..	1,15.83

अ. वेतन, सब्सिडी एवं सहायक अनुदान के आँकड़ों को सभी खण्डों से एकीकृत किया गया है। इस विवरण में सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं के व्यय में वेतन, सब्सिडी तथा सहायक अनुदान सम्मिलित नही है। (विस्तृत जानकारी ब में)

ब. सहायक अनुदान, सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्त इकाइयों तथा स्थानीय निकायों आदि को दिया जाता है,जिसके ऊपर एकीकृत आँकडा दिया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को करों में क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन, से की भिन्न है जिसे अलग स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन के रूप में दिखाया गया है।

स. सहायक अनुदान में लघु शीर्ष–''20–सहायक अनुदान/अंशदान तथा राज्य सहायता'' सभी मुख्य शीर्षों से सम्मिलित है। मुख्य शीर्ष – 3604, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेश अलग से दर्शाया गया है।

द. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में 1 अप्रैल 2013 को ₹ 74,03.60 करोड़ की राशि थी जो कि बढ़कर 31 मार्च 2014 को ₹ 79,48.67 करोड़ हो गई है।

य. ब्यौरे के लिए खण्ड–2 में विवरण संख्या–18 देखिए।

र. 'उच्चंत एवं विविध' में 'अन्य लेखे' जैसे मुख्य शीर्ष 8673 (नकद शेष निवेश लेखा) सम्मिलित है। इस कारण राशियां बढ़ी हुई लग रही है। कृपया ब्यौरे के लिए खण्ड–2 में विवरण संख्या–18 देखें।

विवरण संख्या 2 का अनुलग्नक
(रोकड़ प्रवाह विवरण)

(करोड़ ₹ में)

क	सामान्य रोकड़ शेषः	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
	1. कोषागारों में शेष	0.00	0.00
	2. रिजर्व बैंक में जमा	5,58.31	(-) 5.21
	3. स्थानीय प्रेषण चलन में	0.00	0.00
	योग (1 से 3)	**5,58.31**	**(-) 5.21**
	4. रोकड़ शेष निवेश लेखा	7,99.50	8,75.15
	योग (क)	**13,57.81**	**8,69.94**
ख	**अन्य रोकड़ शेष व विनियोग**		
	1. विभागीय रोकड़ शेष	(-) 2.15	(-) 2.15
	2. आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय स्थाई अग्रिम	(-) 0.87	(-) 0.87
	उद्दिष्ट निधि से अलग निवेश	10,78.62	10,78.62
	योग (ख)	**10,75.60**	**10,75.60**
	योग (क) एवं (ख)	**24,33.41**	**19,45.54**

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क) रोकड़ एवं रोकड़ के अनुरूप–

रोकड़ एवं रोकड़ के समान में कोषागारों में रोकड़ तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंको में जमा एवं प्रेषण जैसा कि ऊपर दिया गया है, सम्मिलित है। 'रिजर्व बैंक में जमा' शीर्ष के शेष {उपरोक्त क (2)} वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक ऋण के संयुक्त शेषों को बताते हैं। रोकड़ की पूर्ण स्थिति 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' में जमा के अन्तर्गत कोषागारों के शेषों, रोकड़ शेषों के अलावा विनियोग एवं विभाग संचित निधि इत्यादि के शेषों से प्राप्त हो सकती है।

विवरण संख्या 2 का अनुलग्नक
(रोकड़ प्रवाह विवरण)

(ख) दैनिक रोकड़ शेषः

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध अनुसार राज्य सरकार को बैंक में प्रतिदिन का ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष रखना है यदि शेष राशि किसी दिन कम हो जाती है तो यह कमी समय–समय पर सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों को प्राप्त कर अधिविकर्ष द्वारा पूरी की जाती है।

दैनिक रोकड़ (*) शेष को बनाए रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष प्रदान किए जाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लेनदेनों के साथ 14 दिनों के ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन करता है (भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तर्राज्यीय लेनदेनों एवं अभिकर्ता बैंकों द्वारा सूचित किए गए कोषागार लेनदेनों द्वारा) इस प्रकार जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, ट्रेजरी बिलों यदि कोई हो की 14 दिन की परिपक्वता अवधि इसमें जोड़ दी जाती है यदि कोई अधिक शेष न्यूनतम रोकड़ शेष के पश्चात प्राप्त होता है तो उसे ट्रेजरी बिलों में विनियोजित कर दिया जाता है।

यदि शुद्ध रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है और उस दिन कोई ट्रेजरी बिल जो 14 दिनों में परिपक्व होने वाला ना हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक अपरिपक्व ट्रेजरी बिलों का भी मूल्यांकन करता है और कमी को पूरा कर दिया जाता है यदि उस दिन इस प्रकार के ट्रेजरी बिल भी न हों तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के बिल आवेदित करती है।

(ग) अर्थोपाय अग्रिमः

राज्य सरकार के सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा दिनांक 01अप्रैल 2009 से ₹1,45.00 करोड़ थी। बैंक राज्य सरकार के प्रतिभूतियों के आधार पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने के लिए भी सहमत हुआ। बैंक विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा समय–समय पर पुनरीक्षित करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 1,46.10 करोड़ से ₹ 2,18.60 करोड़ थी।

न्यूनतम अवशेष में कमी	दर
(अ) सामान्य अर्थोपाय अग्रिम	
(i) 90 दिनों तक	8 प्रतिशत
(ii) 90 दिनों से आगे	9 प्रतिशत
(आ) विशेष अर्थोपाय अग्रिम	7 प्रतिशत
(इ) ओवर ड्राफ्ट	
(i) सामान्य के अन्तर्गत अर्थोपाय अग्रिम सीमा	10 प्रतिशत
(ii) सामान्य के ऊपर अर्थोपाय अग्रिम सीमा	13 प्रतिशत

विवरण संख्या 2 का अनुलग्नक
(रोकड़ प्रवाह विवरण)

(अ) सामान्य आर्थोपाय अग्रिम जिस सीमा तक शासन ने वर्ष 2013–14 तक रिजर्व बैंक ने न्यूनतम रोकड़ शेष व्यवस्थित किया है, नीचे दिया गया है।

(i) दिनों की संख्या जिनमें बिना कोई अग्रिम प्राप्त किये न्यूनतम शेष रहा। 349 दिन

(ii) दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष रहा। शून्य दिन

(iii) दिनों की संख्या जिनमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष रहा। 16 दिन

(iv) दिनों की संख्या जिनमें उपरोक्त अग्रिमों को प्राप्त करने के पश्चात तथा अधिविकर्ष को छोडकर न्यूनतम शेष में कमी रही। – शून्य दिन

(v) दिनों की संख्या जिनमें अधिविकर्ष प्राप्त किया गया। शून्य दिन

(घ) खजाना बिल

(द) दिनांक 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 मार्च 2014 के दौरान ₹ 2,17,75.36 करोड़ के ट्रेजरी बिल क्रय किए गए एवं ₹ 2,18,51.01 करोड़ रूपये की राशि के ट्रेजरी बिलों का विक्रय किये गए इस प्रकार शीर्ष के अंर्तगत ₹ 75.65 करोड के ट्रेजरी बिल शेष रहे।

(स) दिनांक 31मार्च 2014 तक सामान्य रोकड़ शेष तथा उद्दिष्ट निधियों से किया गया विनियोजन निम्नवत है:

(करोड़ ₹ में)

क्र. सं.		रोकड़ शेष निवेश लेखा	उद्दिष्ट निधि	योग
1.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	--	10,78.62	10,78.62
2.	भारत सरकार के कोषागार बिल	7,99.50	--	7,99.50

(*) उपरोक्त रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक में जमा 31 मार्च का रोकड़ शेष है जो कि 16 अप्रैल को आगणित किया गया न कि 31 मार्च के दैनिक शेष से।

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(I) कर तथा करेतर राजस्व		(करोड़ ₹ में)	
		वास्तविक आँकड़े	
	वर्णन	**2013-14**	**2012-13**
क.	**कर राजस्व**		
क. 1	**स्वकर राजस्व**	**73,55.34**	**64,14.25**
	भू–राजस्व	21.65	10.59
	स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस	6,86.71	6,48.40
	राज्य उत्पाद शुल्क	12,69.29	11,17.92
	बिक्री कर	49,02.91	42,89.41
	वाहन कर	3,68.83	3,04.29
	अन्य	1,05.95	43.64
क. 2	**करों का शुद्ध समनुदेशित भाग**	**35,73.38**	**32,72.88**
	निगम कर	12,01.71	11,75.59
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	7,91.29	7,03.81
	सम्पत्ति कर	3.30	1.98
	सीमा शुल्क	5,83.01	5,43.85
	संघ उत्पाद शुल्क	4,11.76	3,69.60
	सेवा कर	5,82.31	4,78.05
	योग–क	**1,09,28.72**	**96,87.13**
ख.	**करेतर राजस्व**		
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	3,62.70	2,38.20
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2,49.99	1,09.85
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	2,45.78	7,48.65
	बिजली	1,21.11	1,50.04
	ब्याज प्राप्तियां	51.12	1,14.76
	विविध सामान्य सेवाएँ	48.74	25.85
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	44.04	30.00
	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	39.91	38.80
	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	32.38	38.71
	जेल	16.76	1.16
	लोक निर्माण कार्य	15.51	18.13
	पुलिस	13.40	10.98
	सहकारिता	9.78	1.38

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(I) कर तथा करेतर राजस्व		(करोड़ ₹ में)	
		वास्तविक आँकड़े	
ख.	करेतर राजस्व	**2013-14**	**2012-13**
	पशुपालन	8.46	1.77
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	6.65	4.14
	मध्यम सिंचाई	6.51	7.52
	फसल कृषि–कर्म	6.32	15.83
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5.27	3.21
	अन्य सामाजिक सेवाएँ	5.27	4.38
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	4.49	3.82
	शहरी विकास	3.98	10.33
	जलापूर्ति तथा सफाई	3.86	1.98
	आवास	2.76	1.77
	श्रम तथा रोजगार	2.64	2.46
	लघु सिंचाई	2.12	2.91
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	1.89	2.06
	सड़क परिवहन	1.17	0.67
	लोक सेवा आयोग	0.95	0.73
	सड़क तथा सेतु	0.53	0.22
	पर्यटन	0.48	1.22
	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.43	0.31
	सिविल आपूर्ति	0.43	0.40
	दुग्ध विकास	0.31	1.09
	लाभांश तथा लाभ	0.30	0.19
	मुख्य सिंचाई	0.24	0.13
	मत्स्य पालन	0.11	8.07
	नगर विमानन	0.06	0.00
	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.04	0.06
	सूचना तथा प्रचार	0.04	0.10
	परिवार कल्याण	0.01	0.16
	उद्योग	0.00	0.84
	योग–ख	**13,16.54**	**16,02.88**

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(II) भारत सरकार से अनुदान			(करोड़ ₹ में)	
			वास्तविक आँकड़े	
	विवरण		**2013-14**	**2012-13**
ग	अनुदान			
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		**50,75.27**	**44,57.21**
	आयोजनेतर अनुदान		**9,80.77**	**8,68.64**
		राष्ट्रीय आपदा राहत निधि	3,29.50	..
		संविधान के अन्तर्गत अनुदान (राजस्व आदेश का वितरण)	3,71.63	6,21.62
		राज्य आपदा राहत निधि	1,49.00	2,09.59
		अन्य अनुदान	11.18	3.42
		केन्द्रीय सड़क निधि अनुदान	1,19.46	34.01
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		**35,58.07**	**30,40.11**
		एकमुश्त (ब्लाक) अनुदान	35,39.76	30,16.05
		अन्य अनुदान	18.31	24.06
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान		**13.01**	**7.59**
	केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		**5,23.42**	**5,40.87**
	योग–ग		**50,75.27**	**44,57.21**
	योग–राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)		**1,73,20.53**	**1,57,47.22**
(III)	पूँजी, लोक ऋण एवं अन्य प्राप्तियाँ			
घ	पूँजीगत प्राप्तियाँ			
	विनिवेश प्राप्तियाँ			..
	अन्य		1,80.40	..
	योग–घ		**1,80.40**	..

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

(III) पूँजी, लोक ऋण एवं अन्य प्राप्तियाँ			(करोड़ ₹ में)	
			वास्तविक आँकड़े	
	वर्णन		**2013-14**	**2012-13**
ड़	**लोक ऋण प्राप्तियाँ**		**40,38.48**	**29,82.59**
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		**40,03.52**	**29,47.88**
		बाजार ऋण	25,00.00	17,50.00
		भारतीय रिर्जव बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (अ)	1,65.31	15.15
		वित्तीय संस्थाओं से ऋण	5,47.53	5,27.41
		राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को विशेष प्रतिभूति जारी करना	7,90.68	7,39.38
		अन्य ऋण	...	(-) 84.06
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम		**34.96**	**34.71**
		आयोजनेत्तर ऋण		
		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आयोजनागत योजना हेतु ऋण	34.96	34.71
		केन्द्र आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण	..	..
		केन्द्रीयकृत्त समनुदेशित योजनाओं के लिए ऋण	..	..
	योग ड़		**40,38.48**	**29,82.59**
च.	**राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम (वसूलियाँ)** (ब)		**55.23**	**4,28.44**
छ.	**अंतर्राज्यीय परिशोधन लेखा**			
	समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ (क,ख,ग,घ,ड़ व च)		**2,15,94.64**	**1,91,58.25**

(अ) अर्थोपाय अग्रिम

(ब) विस्तृत विवरण के लिए खण्ड –2 में विवरण संख्या 7 और 16 देखें।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

अ. व्यय क्रियाकलाप से (करोड़ ₹ में)

	व्याख्या	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
क	सामान्य सेवा				
क. 1	राज्य के अंग				
	संसद / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	20.58	...	...	20.58
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति / राज्यपाल / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	5.58	...	...	5.58
	मंत्रिपरिषद्	47.51	...	...	47.51
	न्याय प्रशासन	1,21.11	...	...	1,21.11
	निर्वाचन	11.39	...	...	11.39
क. 2	राजकोषीय सेवाएँ				
	भू राजस्व	1,33.94	...	...	1,33.94
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	19.98	...	...	19.98
	राज्य उत्पादक शुल्क	11.05	...	...	11.05
	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	59.34	...	...	59.34
	वाहन कर	0.39	...	...	0.39
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	7.49	...	...	7.49
	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	4.26	...	...	4.26
	ब्याज अदायगियाँ	20,56.04	...	...	20,56.04
क. 3	प्रशासनिक सेवाएँ				
	लोक सेवा आयोग	8.88	...	...	8.88
	सचिवालय–सामान्य सेवाएँ	1,05.40	...	...	1,05.40
	जिला प्रशासन	82.92	...	...	82.92
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	53.86	...	...	53.86
	पुलिस	9,08.55	49.01	...	9,57.56
	जेल	26.71	...	...	26.71
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	9.48	0.05	...	9.53
	लोक निर्माण	3,08.84	88.84	...	3,97.68
	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	48.08	...	...	48.08
क. 4	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएँ				
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	21,30.67	...	...	21,30.67
	कुल (क) सामान्य सेवाएँ	**61,82.05**	**1,37.90**	**...**	**63,19.95**
ख	सामाजिक सेवाएँ				
ख.1	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति				
	सामान्य शिक्षा	38,73.71	1,53.43	...	40,27.14
	तकनीकी शिक्षा	1,32.15	76.34	...	2,08.49
	खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	46.51	61.40	...	1,07.91
	कला एवं संस्कृति	15.16	15.80	...	30.96
ख. 2	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण				
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8,01.50	1,43.53	...	9,45.03
	परिवार कल्याण	97.74	4.50	...	1,02.24

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

अ. व्यय क्रियाकलाप से (करोड़ ₹ में)

	व्याख्या	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ख	**सामाजिक सेवाएँ**				
ख. 3	**जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास**				
	जलापूर्ति तथा सफाई	4,77.58	96.67	...	5,74.25
	आवास	1.93	36.95	...	38.88
	शहरी विकास	68.07	1,49.22	...	2,17.29
ख. 4	**सूचना तथा प्रसारण**				
	सूचना तथा प्रसार	48.31	...	...	48.31
ख. 5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण**				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	2,51.87	78.43	...	3,30.30
ख. 6	**श्रमिक तथा श्रम कल्याण**				
	श्रम तथा रोजगार	98.05	...	...	98.05
ख. 7	**समाज कल्याण तथा पोषण**				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	6,76.45	14.15	...	6,90.60
	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	6,70.30	...	...	6,70.30
ख. 8	**अन्य**				
	अन्य सामाजिक सेवाएँ	38.48	10.41	...	48.89
	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ	0.19	...	...	0.19
	कुल(ख) सामाजिक सेवाएँ	**72,98.00**	**8,40.83**	**...**	**81,38.83**
ग	**आर्थिक सेवायें**				
ग. 1	**कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप**				
	फसल कृषि कर्म	2,95.85	10.82	2,10.40	5,17.07
	पशुपालन	1,25.21	8.67	...	1,33.88
	डेरी विकास	13.93	...	...	13.93
	मछली पालन	7.41	0.25	...	7.66
	वानिकी तथा वन्य जीवन	3,73.20	49.33	...	4,22.53
	बागानी	0.60	...	...	0.60
	खाद्य भण्डारण तथा भांडारागार	21.35	5,33.53	...	5,54.88
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	1,37.61	...	...	1,37.61
	सहकारिता	38.24	-4.53	3.30	37.01
ग. 2	**ग्राम विकास**				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	76.19	...	...	76.19
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2,80.34	3,25.97	...	6,06.31
ग. 3	**सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण**				
	मुख्य सिंचाई	2,29.75	2,97.85	...	5,27.60
	मध्यम सिंचाई	10.00	1.20	...	11.20
	लघु सिंचाई	75.59	72.97	...	1,48.56
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	3.97	88.06	...	92.03

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)					
अ. व्यय क्रियाकलाप से				(करोड़ ₹ में)	
	व्याख्या	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
ग	**आर्थिक सेवायें**				
ग. 4	**ऊर्जा**				
	बिजली	0.08	2,55.62	52.53	3,08.23
	नयी तथा नवीकृत ऊर्जा श्रोत	7.29	...	...	7.29
ग. 5	**उद्योग तथा खनिज**				
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	49.29	-25.31	...	23.98
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	5.10	...	...	5.10
	दूरसंचार तथा इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग को ऋण	...	8.67	...	8.67
	उद्योग तथा खनिज पर अन्य परिव्यय	...	26.00	...	26.00
ग. 6	**परिवहन**				
	नगर विमानन	20.86	15.50	...	36.36
	सड़क तथा सेतु	1,82.58	10,33.87	...	12,16.45
	सड़क परिवहन	21.15	2.43	10.00	33.58
ग. 7	**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण**				
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	8.53	...	...	8.53
ग. 8	**सामान्य आर्थिक सेवाएँ**				
	सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ	3.10	...	...	3.10
	पर्यटन	56.47	32.41	...	88.88
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	18.84	...	...	18.84
	नागरिक आपूर्ति	3.25	...	...	3.25
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	2.17	...	...	2.17
	कुल (ग)आर्थिक सेवाएँ	**20,67.95**	**27,33.31**	**2,76.23**	**50,77.49**
घ.	**ऋण, सहायता अनुदान तथा अंशदान**				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	6,68.41	...	...	6,68.41
ड.	**सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि**				
	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	...	...	1.27	1.27
	विविध ऋण	...	...	0.49	0.49
च	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	...	**14,30.82**	...	**14,30.82**
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	...	**51.30**	...	**51.30**
	कुल समेकित निधि व्यय	**1,62,16.41**	**51,94.16***	**2,77.99**	**2,16,88.56**

(*) इसमें निम्न सम्मिलित हैं।

(1) पँजीगत व्यय ₹ 37,12.03 करोड़

(2) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण ₹ 14,30.82 करोड़

(3) केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम ₹ 51.30 करोड़

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)			
ब. व्यय का स्वरूप			
			(करोड़ ₹ में)
व्यय की मदें	2013-14		
	राजस्व	पूँजी	योग
वेतन	34,57.00		34,57.00
वृहत निर्माण कार्य	3,60.04	24,50.78	28,10.82
महंगाई भत्ता	27,27.40		27,27.40
सहायता / अंशदान / राज्य सहायता	23,25.86	0.70	23,26.56
पेंशन / मुआवजा	20,80.84		20,80.84
ब्याज / लाभांश	20,56.04		20,56.04
अन्य खर्च	8,84.89	78.07	9,62.96
सामग्री और आपूर्ति	1,19.23	5,31.89	6,51.12
वेतन / भत्ता आदि के लिए सहायता अनुदान	5,86.07		5,86.07
अन्तर लेखा संक्रमण	4,68.21		4,68.21
अन्य भत्ता	3,93.14		3,93.14
निवेश / ऋण		2,55.30	2,55.30
छात्रवृत्तियाँ और छात्र भत्ता	1,80.90		1,80.90
मानदेय	1,38.37		1,38.37
रखरखाव	1,14.79	1.70	1,16.49
व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,05.81		1,05.81
मजदूरी	1,04.93		1,04.93
उपकरण और संयंत्र	78.48	3.20	81.68
विद्युत देय	65.42		65.42
यात्रा व्यय	46.57		46.57
गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	43.08		43.08
औषधि तथा रसायन	42.51		42.51
विज्ञापन और बिक्री व्यय	40.93		40.93
लघु निर्माण कार्य	30.78	0.70	31.48
कार्यालय व्यय	29.08		29.08
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	29.01		29.01
उपादान	23.63		23.63
कार्यालय फर्नीचर एवं व्यय	15.07	0.02	15.09
कम्प्यूटर आदि खरीद पर व्यय	14.14		14.14

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)					
ब. व्यय का स्वरूप					
(करोड़ ₹ में)					
2012-13			2011-12		
राजस्व	पूँजी	योग	राजस्व	पूँजी	योग
33,76.62	...	33,76.62	33,89.51		33,89.51
1,25.96	20,12.55	21,38.50	1,47.40	16,99.85	18,47.24
20,97.07	...	20,97.07	16,12.92		16,12.92
21,31.72	3.11	21,34.83	17,76.75	1.20	17,77.95
13,38.64	...	13,38.64	11,32.52		11,32.52
20,88.73	...	20,88.73	17,69.21		17,69.21
5,01.09	32.83	5,33.92	15,73.00	51.52	16,24.52
46.38	5,20.93	5,67.31	68.61	2,38.58	3,07.19
5,41.25	...	5,41.25	4,67.03		4,67.03
1,29.93	...	1,29.93	1,24.19	...	1,24.19
3,60.87	...	3,60.87	3,30.82	...	3,30.82
...	533.27	533.27	...	44.78	44.78
1,51.72	...	1,51.72	1,36.97	...	1,36.97
1,17.39		1,17.39	1,16.29		1,16.29
1,66.12	1.57	1,67.70	1,28.03	0.90	1,28.93
67.28	...	67.28	52.44		52.44
95.74	...	95.74	1,33.74		1,33.74
43.78	0.53	44.31	47.37	1.25	48.62
55.80	...	55.80	41.52		41.52
47.17	...	47.17	43.61		43.61
37.17	...	37.17	32.11	...	32.11
30.76	...	30.76	27.04	...	27.04
34.54	...	34.54	27.73	...	27.73
27.35	1.72	29.07	19.50	1.78	21.28
29.96	...	29.96	34.90	...	34.90
24.98	...	24.98	16.76	...	16.76
1,63.23	...	1,63.23	2,19.67	...	2,19.67
11.14	0.05	11.19	5.62	0.14	5.76
9.03	...	9.03	8.01	...	8.01

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)			
ब. व्यय का स्वरूप			
			(करोड़ ₹ में)
	2013-14		
	राजस्व	पूँजी	योग
अन्य व्यय	(-) 0.32	13.73	13.41
लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	13.34		13.34
किराया एवं शुल्क	11.99		11.99
प्रशिक्षण पर व्यय	11.55	0.21	11.76
भोजन पर व्यय	11.71		11.71
कार्यालय के लिए स्टाफ कार की खरीद	9.47		9.47
कम्प्यूटर का रखरखाव	7.71		7.71
टेलीफोन पर व्यय	6.45		6.45
स्थानान्तरण यात्रा पर व्यय	4.57		4.57
पानी दर एवं टैक्स	3.91		3.91
अतिथि भत्ता	3.66		3.66
प्रकाशन	2.90		2.90
गुप्त सेवा व्यय	1.25		1.25
छुट्टी यात्रा व्यय	1.05		1.05
औषधालय से सम्बन्धित सज्जा	0.10		0.10
महंगाई वेतन	…	…	…
पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता	(-) 4,35.15	3,75.73	(-) 59.42
योग	**1,62,16.41**	**37,12.03**	**1,99,28.44**

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)					
ब. व्यय का स्वरूप					
				(करोड़ ₹ में)	
2012-13			2011-12		
राजस्व	पूँजी	योग	राजस्व	पूँजी	योग
(-) 0.91	2.36	1.44	(-) 20.62	(-)1.81	(-) 22.44
12.89	...	12.89	10.31	...	10.31
10.22	...	10.22	9.69	...	9.69
19.11	0.13	19.23	8.22	...	8.22
10.02	...	10.02	8.60	...	8.60
12.74	...	12.74	4.77	...	4.77
7.61	...	7.61	7.06	...	7.06
5.81	...	5.81	5.71	...	5.71
4.69	...	4.69	4.17	...	4.17
3.88	...	3.88	2.95	...	2.95
2.80	...	2.80	2.99	...	2.99
2.42	...	2.42	2.90	...	2.90
1.19	...	1.19	1.35	...	1.35
0.84	...	0.84	0.53	...	0.53
0.08		0.08	0.10	...	0.10
0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
15.41	433.05	4,48.47	(-) 5,56.80	2,78.75	(-) 2,78.05
1,39,60.22	**35,42.09**	**1,75,02.31**	**1,29,75.19**	**23,16.94**	**1,52,92.13**

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांशः–**

(i) अस्तित्व एवं लेखांकन अवधिः–

ये लेखे उत्तराखण्ड सरकार के 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लेनदेनों को प्रदर्शित करते हैं। 20 कोषागारों, 104 लोक निर्माण प्रखण्डों, 57 वन प्रखण्डों, 81 सिंचाई एवं अन्य प्रखण्डों एवं भारतीय रिजर्व बैंक की एडवाइज के माध्यम से प्राप्त प्रारम्भिक लेखों के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार के प्राप्ति एवं व्यय के लेखे संकलित किए गए हैं। मासिक लेखों की प्राप्ति में विलम्ब नगण्य है एवं वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा अपवर्जित नहीं किया गया है।

(ii) लेखों का आधारः

कुछ पुस्तकीय समायोजनों के साथ, (परिशिष्ट–I "अ") ये लेखे लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय परिसम्पतियों को परम्परागत लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है जैसे कि अधिग्रहण/ क्रय वर्ष में कीमत आदि को परम्परागत लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। भौतिक सम्पत्तियों को ह्रासित या अवमूल्यित नहीं किया जाता है। भौतिक सम्पत्तियों की हानियों को इनकी समय सीमा समाप्ति पर मूल्यांकन नहीं किया जाता।

सरकार के पेंशन दायित्व जो कि उसके कर्मचारियों के पूर्व तथा वर्तमान सेवाओं के सेवानिवृत्त लाभों से सम्बन्धित हैं, को लेखे में नहीं लिया जाता है। यद्यपि, सेवानिवृत्ति लाभ जो कि लेखे के दौरान वितरित किए गए हैं, लेखे में प्रदर्शित किए जाते है। (विवरण संख्या 12)

(iii) मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैः

सरकार के लेखे भारतीय रुपयों में प्रदर्शित किए जाते हैं।

(iv) लेखों का स्वरूपः

संविधान के अनुच्छेद, 150 के अन्तर्गत संघ एवं राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में जैसे कि भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करे, रखे जाते हैं। अनुच्छेद, 150 में प्रयुक्त शब्द "प्रारूप" (form) का एक विशिष्ट तात्पर्य है जिसके अन्तर्गत न केवल विस्तृत स्वरूप, जिनमें लेखे रखे जाते हैं, बल्कि लेनदेनों के वर्गीकरण हेतु उपयुक्त शीर्षों का चुनाव भी शामिल है।

(v) राजस्व एवं पूँजीगत के मध्य वर्गीकरणः

राजस्व व्यय आवृतक प्रकृति के होते हैं जिनको राजस्व प्राप्ति से पूरित आशापित हैं। पूँजीगत परिव्यय स्थायी प्रकार की परिसम्पतियों को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यय के रूप में परिभाषित हैं। सहायक अनुदानों के व्यय को अनुदान दाता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है। प्राप्त कर्ता के लेखों में इसको राजस्व प्राप्ति के रूप में लिया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत लेखों के स्वरूप पर सलाह देने की भारत के नियन्त्रक–महालेखा परीक्षा की शक्तियों का राज्यों द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि उत्तराखण्ड सरकार ने महालेखाकार (ले0 एवं हक0) की सलाह के बिना, जिन्हे कि नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक ने यह शक्ति प्रत्यायोजित की है, पूँजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत अनुदानों के आबंटन के लिए एक पृथक वस्तुगत शीर्ष खोला है। यह भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इण्डियन गवर्नमेन्ट एकाउन्टिंग स्टैन्डर्ड (आई0जी0ए0एस0)–2 के प्रतिकूल है जिसमें यह उल्लिखित है कि सम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायक अनुदानों पर व्यय जब तक राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से परामर्श से अन्यथा विशिष्ट रूप से अधिकृत न किया जाए, सरकार के वित्तीय विवरण में पूँजीगत शीर्ष को डेबिट किया जाएगा। वर्ष 2013-14 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने ₹ 3,75.73 करोड़ के पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायक अनुदान को पूँजीगत शीर्ष में पुस्तांकित किया जिसके कारण इस सीमा तक राजस्व आधिक्य में वृद्धि हुई।

आई0 जी0 ए0 एस0–2 की एक आवश्यकता है कि पण्य के रूप में दिए गये अनुदान को दर्शाना चाहिए परन्तु , इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

2. **लेखों की गुणवत्ताः–**

(i) लघुशीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियाँ एवं 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकनः

लघुशीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियां एवं 'अन्य व्यय' तभी खोला जाना चाहिए जब लेखे में समुचित लघुशीर्ष का उल्लेख न किया गया हो। लघु शीर्ष 800 का सामान्य परिचालन हतोत्साहित किया जायेगा क्योंकि यह लेखे को अपारदर्शी करता है। सैतीस (37) मुख्य लेखाशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 15,16.77 करोड़ कुल राजस्व व्यय **(₹ 1,62,16.41 करोड़)** का 9.35 *प्रतिशत* , को लघुशीर्ष 800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार अड़त्तीस (38) मुख्य लेखा शीर्ष जो कि सरकार के क्रिया कलापों को प्रदर्शित करते हैं के अन्तर्गत ₹ 15,35.08 करोड़ जो कुल प्राप्ति का 8.88 *प्रतिशत* है को 'अन्य प्राप्तियां'' **(₹ 1,73,20.53 करोड़)** अंकित कर लेखांकित किया गया है। ऐसे उदाहरण जहाँ पर कि प्राप्ति एवं व्यय का एक ठोस अनुपात (50 *प्रतिशत* और अधिक) को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत किया गया है, परिशिष्ट-I ''ब(i) और ब(ii)'' में सूचीबद्ध किया गया है।

(ii) प्राप्तियों एवं व्यय का मिलानः

वर्ष 2012 में उत्तराखण्ड बजट मैनुअल का पैरा 109 के अनुसार यह आवश्यक है कि सरकार के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के आंकड़ों से मिलान किया जाए। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 1,20,34.55 करोड़ (कुल व्यय ₹ 1,99,28.43 करोड़ का 60.38 *प्रतिशत*) और ₹ 1,03,47.92 करोड़ (कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,75,00.93 करोड़ का 59.12 *प्रतिशत*) का ही मिलान किया गया है।

(iii) असमायोजित ए0सी0 बिलः

आहरण वितरण अधिकारियों को ए0सी0 बिलों के माध्यम से, सम्बन्धित सेवा शीर्ष को डेबिट करते हुए धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत किया गया है, उनको चाहिए कि इन सभी मामलों में तीस दिन के अन्तर्गत विस्तृत आकस्मिक बिल तैयार कर (अन्तिम व्यय के समर्थन में वाउचर संलग्न करते हुए) प्रस्तुत कर दें। मार्च 2014 के अन्त में ₹ 7.74 करोड़ की राशि के एक सौ तैतालीस (143) डी0सी0 बिल अभी तक महालेखाकार कार्यालय (ले0 एवं हक0) में प्राप्त नहीं हुए हैं। लम्बे समय तक डी0 सी0 बिलों को प्रस्तुत न करना ए0 सी0 बिलों के व्यय को अस्पष्टता प्रदान करता है।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक असमायोजित ए0 सी0 बिलों का विवरण निम्नवत् है–

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	आहरित ए0सी0 बिल		प्रस्तुत डी0सी0 बिल		असमायोजित डी0सी0 बिल	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
2011-12 तक	1144	1,07.30	1078	1,00.50	66	6.80
2012-13	217	3.68	177	3.59	40	0.09
2013-14	93	1.25	56	0.40	37	0.85
योग	1454	1,12.23	1311	1,04.49	143	7.74

(iv) अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रः

राज्य सरकार विभिन्न संस्थानों को विभिन्न योजनाओं तथा उद्देश्यों के लिए राज्य सहायता देती है, कुछ प्रकरणों में स्वीकृति में उल्लेख रहता है कि अवमुक्त सहायता का उपयोग प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को भेजा जाएगा और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) से अपेक्षित है कि वह ऐसे उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है कि राज्य सहायता को उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया, जिसके लिए यह दिया गया था।

31 मार्च 2014 तक अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण निम्नवत् है–

वर्ष	लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	सम्बद्ध धनराशि (करोड़ ₹ में)
2011-12 तक	227	1,26.19
2012-13	29	35.86
2013-14	171	2,37.70
योग	427	3,99.75

(v) नकदी अवशेषः

31 मार्च 2014 को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा आगणित नकदी अवशेष एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संसूचित अवशेष में ₹ 3.33 करोड़ (क्रेडिट) का शुद्ध अन्तर है। यह अन्तर बाद में ₹ 2.59 करोड़ (क्रेडिट) तक कम हो गया है, जो कि मिलान प्रक्रिया में है।

3. **अन्य मदें:**

(i) सेवानिवृति लाभों पर देयताएँ:

01 अक्टूबर 2005 या उससे बाद भर्ती किए गये राज्य सरकार के कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम 2005 के अन्तर्गत आते है जो कि डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूशन स्कीम है। इस स्कीम के अनुसार कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देते है, समरूप योगदान राज्य सरकार का होता है और सम्पूर्ण धनराशि अधिकृत निधि प्रबन्धक को नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि0 (एन0एस0डी0एल0) के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी जाती है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक धनराशि एवं उसके समरूप सरकारी योगदान का आकलन नही किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2013-14 में कर्मचारियों और उनके नियोक्ता द्वारा दिए गये ₹ 2,29.44 करोड़ के योगदान को मुख्य शीर्ष–0071–117–डिफाइन्ड पेंशन कन्ट्रीब्यूशन स्कीम के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया है, जिसमें से ₹ 2,29.29 करोड़ एन0एस0डी0एल0 के हस्तान्तरित किया गया है। एकत्र न किया गया, मैचिंग न किया गया और हस्तान्तरित न की गई धनराशि, अर्जित ब्याज सहित, स्कीम के अन्तर्गत बकाया देयताओं को दर्शाता है।

30 सितम्बर 2005 या उससे पूर्व भर्ती किए गये राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभों पर वर्ष के दौरान व्यय ₹ 21,30.67 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 13.14 *प्रतिशत* तथा अवकाश नगदीकरण लाभ का ₹ 1,46.29 करोड सहित) था। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य सरकारों के मध्य वर्ष 2000-2010 तक के पेंशन दावों का विभाजन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के सम्बन्ध में, पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2013-14 में, उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2010-11 तक के अपने पेंशन दावों के आंशिक भुगतान के रूप में ₹ 2,50.00 करोड़ प्राप्त किया है। वर्ष 2011-12 से आगे के पेंशनरी दावों के विभाजन का प्रकरण भारत सरकार को सन्दर्भित किया गया है।

(ii) सरकारी लेखों से अलग निधियाँ :

राज्य सरकार, राज्य/जिला स्तर की स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं प्राधिकरणों, सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों आदि को केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं (राज्य का हिस्सा) एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराती है। चूँकि निधियों का उपयोग इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में सामान्यतः पूर्ण रूप में नहीं किया जाता है। अतः इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोग में न लायी गई राशि बैंक में अवशेष रहती है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपयोग में नहीं लायी गई सकल राशि जोकि शासकीय खाते से बाहर (बैंक खाते में) रखी जाती है,

ज्ञात नहीं है। इस प्रकार सरकारी व्यय जिस सीमा तक लेखे में दर्शाया गया अन्तिम नहीं है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने इन कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 19,02.65 करोड़ राज्य सरकार के माध्यम से न करके, सीधे हस्तान्तरित किया है। यद्यपि वहाँ यह आश्वासन नहीं है कि इस प्रकार के हस्तान्तरण का पूर्व विवरण उपलब्ध है, महानियंत्रक लेखा के सेन्ट्रल प्लान स्कीम मानीटरिंग सिस्टम से लिए गये इस प्रकार के हस्तान्तरण का विवरण परिशिष्ट VII में दिया गया है।

(iii) उच्चन्त शेषः

वित्तीय लेखों में उच्चन्त एवं प्रेषण शीर्षों के निबल शेष दर्शाये जाते है उक्त शीर्षों के असमायोजित शेषों के डेबिट एवं क्रेडिट के सकल शेषों को जोड़कर सम्बन्धित शीर्षों के अन्तर्गत पृथक–पृथक में आगणित कर दर्शाया जाता है। वर्ष 2013-14 में विभागीय समायोजन लेखा से ₹ 2,05.03 करोड़ निवल (डेबिट) राज्य सरकार की सहमती से अपलिखित किया गया है। मुख्य शीर्ष उच्चन्त (मुख्य शीर्ष 8658 के अन्तर्गत) की पिछले तीन वर्षों की सकल राशि की स्थिति परिशिष्ट-I ''स'' में दी गई है।

(iv) प्रत्याभूतियाँ (गारण्टीज):

विवरण सं0 9 में दर्शायी गई प्रत्याभूतियाँ राज्य सरकार द्वारा (बजट) उपलब्ध करायी गयी सूचना पर आधारित है, राज्य सरकार ऐसी गारन्टी जारी करने के लिए अधिकृत है। विवरण में दी गई सूचना अपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार ने बकाया प्रत्याभूतियों के सम्बन्ध में सीमित सूचना प्रदान की है। प्रत्याभूति की अधिकतम राशि की सूचना, वर्ष के दौरान वृद्धि/अपमार्जन/उपभोग की गई/मुक्त की गई/मुक्त न की गई एवं प्रत्याभूति कमीशन आदि की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

(v) ऋण एवं निवेशः

ऋणों एवं निवेश का विवरण जिसका विस्तृत लेखा राज्य सरकार के विभागों द्वारा रखा जाता है, को उस सीमा तक जहाँ तक राज्य सरकार ने अवगत कराया है, विवरण 16 और 14 में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने ऋण एवं वसूली जो कि अवशेष है पूर्ण विवरण प्रदान नहीं किया है। परिणामतः इन लेखों में आई0जी0ए0एस0 3 की आवश्कताओं की पूर्ति नहीं हुई है।

इसी प्रकार राज्य सरकार ने उनके द्वारा किए गये निवेश के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नही कराई/पुष्टि नहीं की। परिणाम स्वरूप वित्त लेखे में शामिल सूचना मुख्यतः पूँजीगत मुख्य शीर्ष के लघु शीर्ष ''190–सार्वजनिक उपक्रमों'' में निवेश के अन्तर्गत सीमित सूचना पर आधारित है जो कि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा वाउचरों से अभिग्रहण किया गया है। सरकार को वित्त लेखे में दर्शाये गये निवेश एवं ऋण आँकड़ो को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी0 एस0 यू0) एवं अन्य उपक्रमों की पुस्तकों में दर्शाये गये आँकड़ो से मिलान की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने राज्य आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) की स्थापना की है और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु सिडकुल को भूमि भी प्रदान की है। सिडकुल द्वारा औद्योगिक इकाइयों को लैंड प्रीमियम/ लीज रेन्ट पर भूमि दी जाती है।

समय–समय पर राज्य सरकार सिडकुल को, एकत्रित लीज रेन्ट/ लैंड प्रीमियम का भाग जमा कराने के सम्बन्ध में माँग जारी करता है। यह राशि मुख्य लेखा शीर्ष 4885–उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूँजी खर्च के अन्तर्गत व्यय में कमी के रूप में दर्शायी जाती है। इस सम्बन्ध में सिडकुल को सलाह दी गई है कि वह मुख्य लेखा शीर्ष 0075–00–105 सेल प्रोसीड्स–लैंड प्रोपर्टी में "राजस्व प्राप्तियाँ" के अन्तर्गत लीज रेन्ट/ लैंड प्रीमियम का एकत्रित भाग राज्य सरकार को जमा कराए। ऋणात्मक व्यय राशि ₹ 5,39.35 करोड़ (2012-13 तक) प्रोफार्मा सुधार के कारण 2013-14 वर्ष के दौरान में संशोधित की गई है।

(vi) आरक्षित कोषः

राज्य सरकार द्वारा आरक्षित/डिपोजिट फण्ड और उनके उपभोग के सम्बन्ध में महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा किए गये पुस्तकीय समायोजनों का विवरण परिशिष्ट–I 'अ' में दिया गया है। आरक्षित कोष और इंगित निधि से निवेश का विस्तृत विवरण क्रमशः विवरण संख्या 18 एवं 19 में दिया गया है।

(अ) समेकित ऋण शोधन निधिः

बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में समेकित ऋण शोधन निधि की व्यवस्था एवं प्रशासन के लिए अपनी बकाया देयताओं (राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण और लोक लेखा दायित्व) के मोचन हेतु एक संशोधित योजना बनायी। निधि का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार द्वारा समय द्वारा समय–समय जारी निर्देशों/ अनुदेशों के अनुसार किया जाता है। सरकार भारतीय रिर्जव बैंक को निधि के एक प्रतिशत टर्नओवर के 1/8 की दर या समय–समय पर पारस्परिक निश्चित किए गये दर पर कमीशन का भुगतान करती है। वर्ष 2013-14 में शून्य राशि राज्य की समेकित निधि से ऋण शोधन निधि में विनियोजित की गई है। जो कि ऋण शोधन निधि के प्रावधानों के विरूद्ध है। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य ₹ 1,27.70 करोड़ की सीमा तक बढ़ गया। वर्ष 2013-14 के अन्त में कुल संचय ₹ 11,28.00 करोड़ था। निधि के कुल संचय में से, ₹ 10,53.62 करोड़ की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेश की गई।

(ब) गारंटी मोचन कोषः

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने गारंटी मोचन निधि का गठन किया है। 31 मार्च 2013 तक कुल योगदान ₹ 25 करोड़ तथा इस पर आरक्षित ब्याज ₹ 16.32 करोड़ सरकारी प्रतिभूतियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेशित किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान बकाया गारण्टी के लिए कोई धनराशि इससे नहीं निकाली गई है। वर्ष 2013-14 में ₹ 15,70.15 करोड़ की बकाया गारण्टी के सापेक्ष राज्य सरकार ने निधि में कोई योगदान नहीं किया है। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य ₹ 3,14.03 करोड़ (अदेय गारंटी का 1/5 भाग) की सीमा तक बढ़ गया है।

(स) राज्य आपदा विमोचन निधि **(SDRF)**:

तेरहवे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा विमोचन निधि में प्रतिस्थापित किया गया है। निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं विशेष दर्जा राज्य सरकार जैसे उत्तराखण्ड से निधि में 90:10 के अनुपात में योगदान अपेक्षित है।

वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में निधि में अवशेष ₹ 36.85 करोड़ था। वर्ष 2013-14 में ₹ 4,65.71 करोड़, (राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि ₹ 3,29.50 करोड़ एवं राज्य आपदा विमोचन निधि ₹ 1,36.21 करोड़ जिसमें केन्द्रीय अंश ₹ 1,22.59 करोड़ तथा राज्य अंश ₹ 13.62 करोड़ सम्मिलित है), समेकित निधि से राज्य आपदा विमोचन निधि में नियोजित किया गया, जबकि निधि से ₹ 4,35.15 करोड़ व्यय किए गये हैं तथा निधि में ₹ 67.41 करोड़ जमा राशि शेष है। वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार से SDRF के रूप में ₹ 1,49.00 करोड़ (वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए ₹ 26.35 करोड़, ₹ 1,22.59 करोड़ तथा ₹ 0.06 करोड़) की राजस्व के रूप में प्राप्त हुई।

(vii) आकस्मिकता निधि:

अगस्त 2013 में अध्यादेश (संख्या–03, 2013) द्वारा राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि का कार्पस ₹ 2,00.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 6,00.00 करोड़ किया। तत्पश्चात् फरवरी 2014 में विधायिका के समर्थन एवं अनुमोदनोपरान्त विज्ञप्ति (संख्या 93, 2014) के द्वारा ₹ 7,50.00 करोड़ कर दिया गया। यद्यपि सितम्बर 2013 के अनुपूरक बजट में ₹ 6,00.00 करोड का कार्पस आधिक्य का प्रावधान किया गया था किन्तु अनुपूरक अनुदानों में ₹ 7,50.00 करोड़ का कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। 31 मार्च 2014 को धनराशि ₹ 2,79.63 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष में ₹ 1,68.04 करोड एवं राजस्व शीर्ष में ₹ 1,11.59 करोड की धनराशि) अनापूर्तित रही, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य की धनराशि ₹ 1,11.59 करोड़ एवं वित्तीय घाटे की धनराशि ₹ 2,79.63 करोड़ क्रमशः अधिक एवं कम दिखाई गई।

(viii) व्यय का आधिक्य:

धनराशि ₹ 11,87.70 करोड़ (₹ 37,12.03 करोड़ पूँजीगत व्यय का लगभग 32 *प्रतिशत*) तथा ₹ 27,48.39 करोड़ (₹ 1,62,16.14 करोड़ राजस्व व्यय का लगभग 16.95 *प्रतिशत*) मार्च 2014 में व्यय हुआ। अकेले दिनांक 31 मार्च 2014 को ₹ 4,17.09 करोड़ एवं ₹ 1,74.09 (क्रमशः राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का लगभग 2.57 प्रतिशत एवं 4.69 *प्रतिशत*) करोड़ व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त मार्च में ₹ 85.05 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का लगभग 0.43 *प्रतिशत*) लोकलेखे में हस्तान्तरण हुआ। मार्च के अन्तिम दिन व्यय/हस्तान्तरण मुख्यतः बजट को खर्च करने की शीघ्रता और अपर्याप्त बजटीय नियन्त्रण को दर्शाता है।

(ix) उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 :

उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 बनाया है। वर्ष 2013-14 के दौरान अधिनियम में उल्लिखित विनियमों के अन्तर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैः–

क्रम संख्या	लक्ष्य	**वर्ष 2013-14 के दौरान उपलब्धियॉ**
1.	वर्ष 2011-12 के राजस्व घाटे को दूर करना एवं उसके पश्चात राजस्व आधिक्य बनाना।	वर्ष 2013-14 में लेखे के अनुसार, राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य ₹ 11,04.12 करोड़ था जो जी0 एस0 डी0 पी0* का 0.83 प्रतिशत था।
2.	वित्तीय वर्ष 2012-13 तक राजकोषीय घाटे को कुल राज्य सकल घरेलु उत्पाद का 3.5 *प्रतिशत* करना और उसके बाद वर्ष 2013-14 में 3 *प्रतिशत* या कम बनाये रखना।	लेखे के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा ₹26,50.27 करोड़ राज्य सकल घरेलु उत्पाद* प्रक्कलन का 1.99 *प्रतिशत* है।जो कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से कम है।
3.	यह सुनिचित करना कि चार वित्तीय वर्षो, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2015, मे कुल अनुमानित ऋण दायित्व राज्य घरेलु उत्पाद के क्रमशः 41.10, 40.00 38.50 एवं 37.20 *प्रतिशत* से अधिक ना हो।	लेखे के दृष्टि में वर्ष 2013-14 कुल ऋण दायित्व ₹ 2,87,66.50 करोड़ थे। जो कि सकल राज्य घरेलु उत्पाद* के 21.63 *प्रतिशत* है और निश्चित किए गए शर्तो से कम है।
4.	ऋणों के लिए गारण्टी की सीमा हेतु कानून निर्धारित करना।	राज्य सरकार ने अवगत नही कराया है कि राज्य विधान मण्डल द्वारा ऐसा कोई कानून पास किया गया है अथवा नही।

* जी0 एस0 डी0 पी0 उत्तराखण्ड सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के वेबसाइट के अनुसार चालू दर पर जी0 एस0 डी0 पी0 का अग्रिम प्राक्कलन ₹ 13,29,68.97 करोड़ था।

(x) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विवरण/सूचनाएँ समाहित करने की स्थितिः–

वारहवें वित्त आयोग द्वारा वांछित निम्नलिखित सूचनाएं वित्त लेखे में सम्मिलित नहीं की गई है। उक्त के कारण निम्नानुसार हैः–

(अ) राज्य सरकार से सूचना के अभाव में स्वीकार्य दायित्वों से संबन्धित सूचना वित्त लेखे में परिशिष्ट के रूप में नहीं दर्शाई जा सकी है।

(ब) चूंकि पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन लेखे में पृथक रूप से अभिग्रहण नहीं किया जा सकता अतः परिशिष्ट–II के विवरण–2 में ''वेतन'' मद के अन्तर्गत उल्लिखित वेतन केवल राज्य क्षेत्र को दर्शाता है। (स) परिशिष्ट–III मे केवल स्पष्ट सब्सिडी का विवरण दिया गया है।

(द) परिशिष्ट–XI अनुरक्षण व्यय, वेतन मद को नहीं दर्शाता है, क्योंकि यह लेखे में अभिग्रहण नहीं होता है।

परिशिष्ट–I "अ"
(मियादी समायोजन)

(करोड़ ₹ में)

बही समायोजन				
क्र. स.	लेखों के शीर्ष		राशि	टिप्पणी
	से	को		
1.	2049–ब्याज भुगतान (नामे)	8009-सामान्य भविष्य निधि (जमा)	4,53.00	राज्य कर्मचारियों को भविष्य निधि पर ब्याज का भुगतान प्रदर्शित करता है।
2.	2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत (नामे)	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (जमा)	4,65.71	राज्य विपदा निपटान निधि को स्थानान्तरित राशि को प्रर्दशित करता है।
3.	2245–प्राकृतिक आपदा के कारण राहत (-नामे)	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (नामे)	4,35.15	राज्य विपदा निपटान निधि से व्यय को प्रर्दशित करता है।

परिशिष्ट–I "ब" (i)
मुख्य लेखा शीर्ष जहाँ अधिकांश प्राप्तियाँ "अन्य प्राप्तियों" में वर्गीकृत हैं।
प्राप्तियाँ (राजस्व)

(करोड़ ₹ में)

लेखे का मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
0023-होटल प्राप्ति कर	17.82	17.82	100
0030-स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	6,86.71	6,86.19	99.92
0056-कारागार	16.76	16.76	100
0059-लोक निर्माण	15.51	15.52	100
0075-विविध सामान्य सेवाऐं	48.74	31.09	63.79
0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	44.04	44.04	100
0406-वानिकी एवं वन्य जीव	3,62.70	3,62.70	100
0801-विद्युत	1,21.11	1,21.11	100

टिप्पणीः– ₹ 10.00 करोड़ या अधिक तथा जो उस मुख्य लेखा शीर्ष के कुल प्राप्ति का 50 या अधिक प्रतिशत दर्शाता है, को अधिकांश प्राप्तियाँ में वर्गीकृत किया गया है।

परिशिष्ट–**I** "ब" (ii)
मुख्य लेखा शीर्ष जहाँ अधिकांश व्यय "अन्य व्यय" में वर्गीकृत हैं।
व्यय (राजस्व)

(करोड़ ₹ में)

लेखे का मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2217-शहरी विकास	68.07	38.99	57.28
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	6,70.30	6,39.74	95.44
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	76.19	71.60	93.98

टिप्पणीः– ₹ 10.00 करोड़ या अधिक तथा जो उस मुख्य लेखा शीर्ष के कुल व्यय का 50 या अधिक प्रतिशत दर्शाता है, को अधिकांश व्यय में वर्गीकृत किया गया है।

परिशिष्ट–I "स"
(उच्चंत शेष)

(करोड़ ₹ में)

लघु शीर्ष	2013-14		2012-13		2011-12	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101–वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्चन्त	65.74	3.16	58.54	3.17	51.16	3.17
निबल	(नामे) **62.58**		(नामे) **55.37**		(नामे) **47.99**	
102–उच्चन्त लेखा (सिविल)	5,47.13	3,30.06	5,62.84	3,56.15	6,67.44	3,56.19
निबल	(नामे) **2,17.07**		(नामे) **2,06.69**		(नामे) **3,11.25**	
107–नकद परिनिर्धारण उच्चन्त लेखा	0.11	0.26	0.11	0.26	0.11	0.26
निबल	(जमा) **0.15**		(जमा) **0.15**		(जमा) **0.15**	
109–रिजर्व बैंक उच्चन्त (मुख्यालय)	0.00	0.00	(-) 0.26	(-) 0.26	(-) 0.26	(-) 0.26
निबल	**0.00**		**0.00**		**0.00**	
110–रिजर्व बैंक उच्चन्त के0ले0 कार्यालय	4,35.79	2,19.62	5,13.53	5,37.52	6,20.50	2,19.70
निबल	(नामे) **2,16.17**		(जमा) **23.99**		(नामे) **4,00.80**	
112–स्त्रो पर कर कटौती उच्चन्त	28.03	93.06	28.03	71.11	28.03	1,19.14
निबल	(जमा) **65.03**		(जमा) **43.08**		(जमा) **91.11**	
117–रिजर्व बैंक की ओर से लेन–देन	18.12	16.63	18.12	16.63	18.10	16.63
निबल	(नामे) **1.49**		(नामे) **1.49**		(नामे) **1.47**	
123–अ0भा0से0 के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.15	0.36	0.14	0.33	0.12	0.30
निबल	(जमा) **0.21**		(जमा) **0.19**		(जमा) **0.18**	
129–सामग्री कय परिनिर्धारण उच्चन्त लेखा	0.03	(-) 0.73	0.03	(-) 0.73	0.03	(-) 0.73
निबल	(नामे) **0.76**		(नामे) **0.76**		(नामे) **0.76**	